डिस्कलेमर

आदेश संख्या 30/2021-22 के मुख पृष्ठ, निर्णयों का सार और आदेश संबंधी अध्यायों का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फा. सं. ऐरा/20010/एमवाईटीपी/आईओएसपीएल/एफएफ/बैंगलोर/सीपी-III/2021-26

आदेश संख्या 30/ 2021-22

सत्यमेव जयते

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

मैसर्स इंडियन ऑयल स्काईटैंकिंग प्राइवेट लिमिटेड (आईओएसपीएल) के लिए कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (केआईए), बैंगलोर में तृतीय नियंत्रण अवधि (01.04.2021-31.03.2026) के लिए ईंधन अवसंरचना प्रभार (एफआईसी) के निर्धारण के मामले में

जारी करने की तारीख : 07.12.2021

ऐरा भवन
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली – **110003**

अध्याय 14 प्राधिकरण के निर्णयों का सार

आईओएसपीएल, बैंगलोर के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए टैरिफ निर्धारित करने के संबंध में प्राधिकरण के निर्णयों (प्रत्येक अध्याय में दिए गए) का सार नीचे दिया गया है:

अध्याय और पैरा		प्राधिकरण के निर्णयों का सार	पृष्ठ संख्या
अध्याय संख्या 2	2.9.1	प्राधिकरण आईओएसपीएल, बैंगलोर के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करने के लिए 'सिंगल टिल' आधार पर "प्राइस कैप अप्रोच" अपनाने का निर्णय लेता है।	14
अध्याय संख्या 3	3.37.1	प्राधिकरण तालिका 10 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए मूल्यह्रास को मानने का निर्णय लेता है।	24
	3.37.2	प्राधिकरण तालिका 12 के अनुसार विनियामक परिसंपत्ति आधार को टूअप करने का निर्णय लेता है।	
	3.37.3	प्राधिकरण तालिका 14 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के टूअप के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानने का निर्णय लेता है।	
	3.37.4	प्राधिकरण तालिका 16 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए आय कर को मानने का निर्णय लेता है।	
	3.37.5	प्राधिकरण तालिका 18 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए एफआरओआर को टूअप करने का निर्णय लेता है।	
	3.37.6	प्राधिकरण उपर्युक्त तालिका 19 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए कमी को मानने का निर्णय लेता है, जिसे तृतीय नियंत्रण अवधि में आईएसपी से वसूल किए जाने का प्रस्ताव है।	
अध्याय संख्या 4.	4.6.1	प्राधिकरण आईओएसपीएल, बैंगलोर के लिए तालिका 23 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए ईंधन थ्रूपुट पूर्वानुमान को मानने का निर्णय लेता है।	28
	4.6.2	प्राधिकरण अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय तृतीय नियंत्रण अवधि की वास्तविक कुल खरीद के आधार पर ईंधन थ्रूपुट (मात्रा) को टूअप करने का निर्णय लेता है।	
अध्याय संख्या 5.	5.6.1	प्राधिकरण आईओएसपीएल, बैंगलोर के लिए तालिका 27 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए पूंजीगत व्यय को मानने का निर्णय लेता है।	34
	5.6.2	प्राधिकरण किसी भी विशेष कैपेक्स को पूंजीकरण अनुसूची के अनुसार पूरा न किए जाने की स्थिति में अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ के निर्धारण के दौरान तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टूअप करने में पूंजीकृत न किए गए कैपेक्स का 1% पुनर्समायोजन के रूप में एआरआर/लक्ष्य राजस्व से पुनर्समायोजित (कम) करने का निर्णय लेता है।	
	5.6.3	प्राधिकरण अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक राशियों के आधार पर कैपेक्स को टूअप करने का निर्णय लेता है।	
अध्याय संख्या 6	6.4.1	प्राधिकरण तालिका 30 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए मूल्यह्रास को मानने का निर्णय लेता है।	36
	6.4.2	प्राधिकरण अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर मूल्यह्रास को टूअप करने का निर्णय लेता है।	
अध्याय संख्या 7	7.4.1	प्राधिकरण तालिका 32 में बताए अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए विनियामक परिसंपत्ति आधार (आरएबी) को मानने का निर्णय लेता है।	38

अध्याय संख्या 8	8.6.1	प्राधिकरण तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए 14% ईक्विटी की लागत बनाए रखने को मानने का निर्णय लेता है।	41
	8.6.2	तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए 8.50 % ऋण की लागत को अपनाना	
	8.6.3	तालिका संख्या 34 में परिकलित किए अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए संशोधित एफआरओआर को अपनाना	
	8.6.4	चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के दौरान एफआरओआर को ट्रूअप करना।	
अध्याय संख्या 9	9.5.1	प्राधिकरण तालिका 37 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक राजस्व को मानने का निर्णय लेता है।	
	9.5.2	प्राधिकरण अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर वैमानिक राजस्व को ट्रूअप करने का निर्णय लेता है।	43
अध्याय संख्या 10.	10.5.1	प्राधिकरण तालिका 42 में दर्शाए अनुसार प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय को मानने का निर्णय लेता है।	48
	10.5.2	प्राधिकरण अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय को ट्रूअप करने का निर्णय लेता है।	
अध्याय संख्या 11	11.5.1	प्राधिकरण आईओएसपीएल, बैंगलोर के लिए तालिका 45 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर का निर्धारण करने के लिए कराधान को मानने का निर्णय लेता है।	50
	11.5.2.	प्राधिकरण तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय अदा किए गए वास्तविक कर के आधार पर कराधान के प्रावधान को ट्रूअप करने का निर्णय लेता है।	
अध्याय संख्या 12.	12.6.1	प्राधिकरण आईओएसपीएल, बैंगलोर के लिए तालिका 49 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर को मानने का निर्णय लेता है।	55
	12.6.2.	प्राधिकरण तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर एआरआर को ट्रूअप करने का निर्णय लेता है।	
अध्याय संख्या 13	13.6.1	प्राधिकरण आईओएसपीएल बैंगलोर के लिए संलग्नक–I के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि (01.01.2022 से 31.03.2026) के लिए टैरिफ दर को मानने का निर्णय लेता है।	57

अध्याय 15 *:* आदेश

रिकॉर्डों में उपलब्ध तात्विक सामग्री पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद प्राधिकरण, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1)(ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि :

(i) आईओएसपीएल, बंगलौर को तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए ***संलग्नक-*** I *के अनुसार एफआईसी* के लिए टैरिफ वसूल करने की अनुमति दी जाती है।

(ii) नई टैरिफ की वसूली **01 जनवरी, 2022** से प्रभावी होगी।

(iii) इसमें अनुमोदित टैरिफ दरें उच्चतम दरें हैं और इनमें यथा लागू कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।

(iv) हवाईअड्डा प्रचालक आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(कर्नल मनु सूदन)
सचिव

सेवा में,

श्री टी.एस.दुपारे
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
इंडियन ऑयल स्काईटैंकिंग प्राइवेट लिमिटेड,
बैंगलोर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, देवनहल्ली,
बैंगलोर -560 300

प्रतिलिपि :

1. सचिव, नागर विमानन मंत्रालय
राजीव गांधी भवन,
सफदरजंग हवाईअड्डा ,
नई दिल्ली-110 003

2. **श्री हरी मरार**,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड,
कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, बंगलौर, देवेनहल्ली,
बैंगलोर – **560 300,** भारत

संलग्नक -I

ऐरा द्वारा अनुमोदित अधिकतम टैरिफ दर

इंडियन ऑयल स्काईटैंकिंग प्राइवेट लिमिटेड (आईओएसपीएल) के लिए कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, बैंगलोर में ईंधन अवसंरचना सेवाएं प्रदान करने के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए

टैरिफ वर्ष	**प्रति कि.ली. एफआईसी दर (रूपए में)**
वित्त वर्ष 2021-22 (01.01.2022 से 31.03.2022 तक प्रभावी)	601
वित्त वर्ष 2022-23 (01.04.2022 से 31.03.2023 तक)	577
वित्त वर्ष 2023-24 (01.04.2023 से 31.03.2024 तक)	554
वित्त वर्ष 2024-25 (01.04.2024 से 31.03.2025 तक)	531
वित्त वर्ष 2025-26 (01.04.2025 से 31.03.2026 तक)	510

नोट : यहां अनुमोदित दरें उच्चतम दरें हैं और इनमें कर, यदि कोई हो, और समय-समय पर जारी सरकारी आदेशों के अनुसार लागू कर शामिल नहीं है।